रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1975/श्रावण 31, 1897
No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1975/SRAVANA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd August 1975

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of 'Himachal Pradesh' hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

(1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Himachal Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"HIMACHAL PRADESH"

1.	Senior posts under the State Government	27
	Inspector General of Police	1
	Deputy Inspector General of Police	2
	Deputy Inspector General of Police (Training and Armed Police)	1
	Deputy Inspector General of Police (C.I.D.)	1

Assistant Inspector General of Police	1
Assistant Inspector General of Police (R & T)	1
Battalion Commandants	3
Superintendent of Police (C.I.D.)	1
Superintendent of Police (Vigilance)	1
District Superintendents of Police	12
Senior Staff Officer (Admn.) Home Guards	1
Superintendent of Police, (CID) (Crime Branch)	1
Additional Superintendent of Police, Simla	1
2. Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	11
	38
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 at 25% of 1 and 2 above	9
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above.)	29
5. Deputation Reserve at 20% of 4 above	6
6. Leave reserve at 5% of 4 above	1
7. Junior Posts at 20.60% of 4 above	6
8. Training Reserve at 10.59% of 4 above	3
Direct recruitment posts	45
Promotion posts	9
Total authorised strength	54

N.B.—The total authorised cadre strength of Himachal Pradesh prior to the revised composition and Strength as given in the above notification was 46.

[No. 11052/4/75-AIS(II)-A]

मन्त्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

सा०का०नि० 455 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार "हिमाचल प्रदेश" सरकार के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छटा संशोधन विनियम, 1975 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"हिमाचल प्रदेश"

1.	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	27
	पुलिस महानिरीक्षक	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक	2
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण तथा सशस्त्र पुलिस)	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक (सी०आई०डी)	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक (आर०एंड टी०)	1
	बटालियन कमांडेंट्स	3
	पुलिस अधीक्षक (सी०आई०डी०)	1
	पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	1
	जिला पुलिस अधीक्षक	12
	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रशासन)	
	होम गार्डस	1
	पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी (अपराध शाखा)	1
	पुलिस अपर अधीक्षक, शिमला	1
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	11
3.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार प्रोन्नति और चयन द्वारा भरे जाने वाले पद उक्त 1 तथा 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	9
4.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उक्त 1 और 2 में से 3 घटा कर)	29
5.	प्रतिनियुक्ति रिजर्व उक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	6
6.	छुट्टी रिजर्व उक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	1
7.	कनिष्ठ पद, उक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	6
8.	प्रशिक्षण रिजर्व, उक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	3

सीधी भर्ती वाले पद . . .	45
पदोन्नति वाले पद . . .	9
कुल प्राधिकृत पद संख्या . .	54

विशेष ध्यान दीजिए.—(संशोधित गठन के पूर्व तथा, जैसे कि उपरोक्त अधिसूचना में दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की कुल प्राधिकृत पद संख्या 46 थी ।

[सं० 11052/4/75-अ० भा० से०(II)-क]

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Nineth Amendment Rules, 1975,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954:—

(a) In 'Schedule III-A, Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Governments', in the Table, for the entry "Himachal Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

State	Particulars of Posts	Scale of pay
Himachal Pradesh	Inspector General of Police	2500—125/2—2750
	Deputy Inspector General of Police	2000—125/2—2250
	Deputy Inspector General of Police (Training and Armed Police)	Do.
	Deputy Inspector General of Police (C.I.D.)	Do.

(b) In Schedule III-B Posts carrying pay in the Senior scale of the Indian Police Service uneder the State Governments (including posts carrying Special pay in addition to pay in the time scale), in the Table for the entry "Himachal Pradesh" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

State	Particulars of Posts
Himachal Pradesh	Assistant Inspector General of Police Assistant Inspector General of Police (R&T). Battalion Commandants. Superintendent of Police (CID). Superintendent of Police (Vigilance). District Superintendents of Police Senior Staff Officer (Admn.) Home Guards. Superintendent of Police, CID. (Crime Branch). Additional Superintendent of Police, Simla.

[No. 11052/4/75-AIS(II)-B]

A. K. GUPTA, Under Secy.

सा० का० नि० 456(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन, नियम, 1975 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में:—

(क) अनुसूची-III-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद को सारणी में "हिमाचल प्रदेश" के पहले कालम में आने वाली प्रविष्टि तथा दूसरे और तीसरे कालमों में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

राज्य	पदों का विवरण	वेतनमान
हिमाचल प्रदेश	पुलिस महानिरीक्षक	2500—125/2—2750
	पुलिस उपमहानिरीक्षक	2000—125/2—2250
	पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण तथा सशस्त्र पुलिस)	—वही—
	पुलिस उपमहानिरीक्षक (सी० आई० डी०)	—वही—

(ख) अनुसूची-III-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद (समय-वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतनों वाले पद समेत) सारणी में "हिमाचल प्रदेश" के पहले कालम में आने वाली प्रविष्टि तथा दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

राज्य	पदों का विवरण
हिमाचल प्रदेश	पुलिस सहायक महानिरीक्षक
	पुलिस सहायक महा निरीक्षक (आर० एण्ड टी०) बटालियन कमांडेंट्स
	पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी०)
	पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
	जिला पुलिस अधीक्षक
	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रशासन) होम गार्ड

राज्य	पदों का विवरण
	पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी०, (अपराध शाखा)
	पुलिस अपर अधीक्षक, शिमला ।

[सं० 11052/4/75-अ० भा० से० (II)-ख]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975